

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर
अपील / आरटीआई / 86 / 2022

श्री देव प्रकाश शर्मा, 3-च-10 आर.एच.बी. शास्त्री नगर, जयपुर

बनाम

.....अपीलार्थी

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर

.....रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005


आदेश

दिनांक 15.11.2022

अपीलार्थी श्री देव प्रकाश शर्मा, 3-च-10 आर.एच.बी. शास्त्री नगर, जयपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 20.7.2022 से लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/22/794 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा लोक सूचना जिला तहसीलदार वैर को अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने बाबत पत्र लिखा गया। तहसीलदार वैर से इस बाबत कोई जवाब प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्त ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है। इस बाबत तहसीलदार वैर सूचना अधिकारी से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई चाही गई वांछित सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें।


जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

(2)

.....2
अपील/आरटीआई/84/2022
देवप्रकाश शर्मा बनाम तहसीलदार वैर

निर्णय प्रति अपीलार्थी को प्रेषित हो, निर्णय की निर्णय प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर